



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 25.08.26

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस द्वारा थाना बड़ौत के मु0अ0सं0 598/26 धारा 305(a)/317(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया गया, जिनके कब्जे से 01 अदद बिजली की मोटर चोरी की व उसका निकला हुआ तार को बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम कोताना थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त जोनी पुत्र सुशील निवासी ग्राम कोताना थाना बड़ौत जनपद बागपत व अन्य 02 अज्ञात



व्यक्तियों के द्वारा वादी के पुश्तैनी घर से चक्की की मोटर चोरी कर लेना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 598/26 धारा 305(a) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस द्वारा थाना बड़ौत के मु0अ0सं0 598/26 धारा 303(a)/317(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 बिजली की मोटर व उसका निकाला हुआ तार बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:—मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार बाल अपचारी अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-जोनी पुत्र सुशील उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत
- 2-आर्यन पुत्र देवेन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत
- 3-चांद उर्फ देव पुत्र सतीश उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- बिजली की मोटर चोरी की व उसका निकाला हुआ तार ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 आरिफ अली थाना बडौत
- 2- है0का0 139 नीरज कुमार थाना बडौत ।
- 3- का0 433 गौरव थाना बडौत ।
- 4- रि0का0 568 प्रशान्त थाना बडौत।

